न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45 / 2022 उनवान उदा बनाम रामधन ::

1. उदा पुत्र भूरा जाति जाट
2. काना पुत्र फूला जाति जाट
3. कालू पुत्र रामनाथ जाति जाट
4. भोलू पुत्र फूला जाति जाट
5. रतना पुत्र गणेश जाति जाट
6. रूपचन्द पुत्र फूला जाति जाट
7. रामदेव पुत्र गणेश जाति जाट
8. रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति जाट
9. रोडू पुत्र रूघनाथ जाति जाट
10. विश्राम पुत्र जमना जाति जाट
11. सत्यनारायण पुत्र जमना जाति जाट
12. सांवरा पुत्र फूला जाति जाट
13. हरिराम पुत्र जमना जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र देवा जाति जाट
2. रामलाल पुत्र देवा जाति जाट
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रिद्वकरण जाति जाट
4. सत्यनारायण पुत्र स्व. रिद्वकरण जाति जाट
5. श्रवणी पत्नी रामदीन जाति जाट
6. हरिराम पुत्र देवा जाति जाट
7. करतार जाट पुत्र सोला जाति जाट
8. घीसा पुत्र मूला जाति जाट
9. चन्ता पुत्री पूसा जाति जाट
10. नोसर पत्नी रिद्वकरण जाति जाट
11. बरजी पत्नी सोल जाति जाट
12. बालू पुत्र पूसा जाति जाट
13. मन्दराज पुत्री सोला जाति जाट
14. मिश्री लाल पुत्र सोला जाति जाट

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

15. रामदीन पुत्र हंसराज जाति जाट
16. रामधन पुत्र चन्द्रा जाति जाट
17. कमलेश पुत्री अमराराम जाति जाट
18. कैलाश पुत्र अमराराम जाति जाट
19. कालू पुत्र अमराराम जाति जाट
20. मदना पुत्र घीसा जाति जाट
21. रामदयाल पुत्र घीसा जाति जाट
22. सुप्यार पत्नी स्व.अमराराम जाति जाट
23. रूपचन्द पुत्र मु.काना जाति खाती
24. शान्ति पत्नी काना जाति खाती
25. कालू पुत्र रामनाथ जाति जाट
26. रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 08.12.2023

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 45/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अराई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर है उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है तथा [illegible] पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के [illegible] संख्या [illegible] में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर के चारो दिशाओ में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण [illegible]ना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 19.06.2019 को मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 27 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनांक 02.09.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 27 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 13.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 से 27 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर है उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टेयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर है के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 13.05.2016 को तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 34 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सान्दौलिया पटवार हल्का सान्दौलिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित जिसके खसरा संख्या 124 रकबा 2.3137 हैक्टेयर, खसरा संख्या 83 रकबा 1.3510 हैक्टैयर, खसरा संख्या 93 रकबा 1.6585 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति [illegible] चौक कर पत्थरगढी करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)